प्रेस नोट थाना सिविल लाइन्स दिनाँक 23.12.2025

पुलिस मुठभेड़ में 25000-25000/-रु0 के ईनामी 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

थाना सिविल लाइंस क्षेत्रान्तर्गत रिगालिया गार्डन कालोनी में महिला को गंन पाइंट पर लेकर की गयी लूटपाट की घटना का सफल अनावरण।

लूटी गई लाइसेंसी पिस्टल,लेपटाप,मोबाइल, जेवर, 50000/-रु0 नकद तथा अवैध शस्त्र तमंचे आदि बरामद ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ, डॉ0 बृजेश कुमार सिंह के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर, श्री विजयेन्द्र द्विवेदी के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रजनीश कुमार उपाध्याय के नेतृत्व में अपराध की रोकथाम हेतु रात्रि गश्त व संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग अभियान के तहत 03 शातिर अभियुक्तगण को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 20.12.2025 को समय करीब 18.45 बजे थाना सिविल लाइन क्षेत्रान्तर्गत रिगालिया गार्डन कॉलोनी की निवासी श्रीमती प्रीति वर्मा पत्नी आशीष कुमार के मंदिर से वापस आते समय पीछे-पीछे चार अज्ञात बदमाश घर में घुस आए तथा महिला को बन्धक बनाकर गन पाइंट पर लेकर घर में रखी 32 बोर की लाइसेंसी पिस्टल, सोने-चाँदी के जेवरात,लेपटाप,मोबाइल व नकदी आदि लूट कर फरार हो गए थे । जिसके संबंध में आवेदिका श्रीमती प्रीति की तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइन पर मु0अ0स0 611/25 धारा 309(4)बीएनएस बनाम 4 अज्ञात पंजीकृत किया गया था तथा पुलिस द्वारा इस घटना को चुनौती के रुप में लेते हुए घटना के अनावरण हेतु थाना सिविल लाइंस व एसओजी/सर्विलांस की अलग-अलग टीमों का गठन किया गया । इन टीमों द्वारा इलेक्ट्रानिक सर्विलांस व आस-पास के सीसीटीवी फुटेज एवं संदिग्धों एवं पूर्व अपराधियों के विषय में की गयी पतारसी-सुरागरसी के आधार पर घटना का सफल अनावरण किया गया है । इस घटना में प्रकाश में आये 03 अभि0गण की गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से प्रत्येक अभियुक्त पर 25000/-रु0 का इनाम घोषित किया गया था ।

आज दिनाँक 23.12.2025 को पुलिस टीम द्वारा इस घटना में प्रकाश में आए 03 अपराधियों की गिरफ्तारी के प्रयास के दौरान अपराधियों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से अंधाधुंध फायरिंग की गयी,जिसमें 01 आरक्षी 773 दीपक कुमार गोली लगने से घायल हुआ तथा हरेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइंस बाल-बाल बचे । जवाबी कार्यवाही में पुलिस पार्टी द्वारा इनकी गिरफ्तारी के उद्देश्य से आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग में तीनों बदमाश घायल हुए हैं । इस घटनाक्रम में घायल बदमाशों व पुलिसकर्मी को इनके जीवन रक्षा के लिए तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल बदायूँ में भर्ती कराया गया है । गिरफ्तारी के दौरान अचानक हुई इस मुठभेड़ के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता गिरफ्तार/घायल अभि0गणः-

1- दीपक गौतम उर्फ मोनू पुत्र स्व0 हंसराज सिंह निवासी ग्राम सकरी जंगल थाना उझानी जनपद बदायूँ,हालपता जिला परिषद कालोनी थाना सिविल लाइंस बदायूँ

(दाहिने पैर में गोली लगी है)

2- संतोष यादव पुत्र अजयपाल यादव निवासी मीरासराय थाना सिविल लाइंस जनपद बदायूं

(बांये पैर में गोली लगी है)

3- जसविन्दर उर्फ काके पुत्र बक्शी निवासी दद्दोबसी सदर होशियारपुर पंजाब,हाल निवासी कस्बा व थाना उझानी

(दोनों पैर मे गोली लगी है)

विवरण पूछताछ अभियुक्तगण–

मुठभेड़ में गिरफ्तार अभि0गण से मौके पर की गयी संक्षिप्त पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा सामूहिक रुप से जुर्म स्वीकार करते हुए बताया गया कि हम तीनों पूर्व में चोरी व लूट के मामलों में जेल जा चुके हैं । जेल में ही तीनों की आपस में मुलाकात हुई है । जेल से छूटकर आने पर तीनों बदमाशों ने अपने एक अन्य साथी डेविड उर्फ शोएब के साथ मिलकर आपस में एक गिरोह बना लिया । ये लोग कोई काम धंधा नहीं करते हैं । अक्सर इधर-उधर आवारा घूमते रहते हैं,नशा करने के आदि हैं । खर्चे चलाने के लिए रुपयों की जरुरत थी । इधर-उधर बाहरी कालोनियों में घूमते रहते हैं। रिगालिया कालोनी में वादिया का घर आबादी से थोड़ा दूर होने के कारण रैकी करके महिला के साथ घटना कारित की गयी है ।

गिरफ्तारी का स्थान – बिल्सी रोड नई जेल हेतु चिन्हित खाली जंगल

बरामदगी का विवरणः-

1- घटना मे लूटा गया रिवाल्वर 32 बोर

2- घटना में लूटा गया एक लैपटाप सोनी कम्पनी

3- घटना में लूटा गया एक मोबाइल

4- घटना में लूटे गये सोने-चाँदी के आभूषण

5- लूटी गयी नगदी में से 50000/- रु0

6- घटना में प्रयुक्त 03 अवैध तमंचे 315 बोर मय खोखा व जीवित कारतूस

अभि0 दीपक गौतम उर्फ मोनू का पूर्व आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 164/16 धारा 13 जी एक्ट थाना सिविल लाइंस

2. मु0अ0सं0 861/17 धारा 323/498ए भादवि व ¾ डीपी एक्ट थाना सिविल लाइंस

3. मु0अ0सं0 471/22 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना सिविल लाइंस जनपद बदायूँ ।

4. मु0अ0सं0 515/23 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सिविल लाइंस जनपद बदायूँ ।

5. मु0अ0सं0 197/24 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद बदायूँ ।

6. मु0अ0सं0 199/24 धारा 379/411/413/414 भादवि थाना कोतवाली जनपद बदायूँ ।

7. मु0अ0स0 611/25 धारा 309(4)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना सिविल लाइंस जनपद बदायूँ

अभि0 संतोष यादव उपरोक्त का पूर्व आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 275/19 धारा 307/504 भादवि थाना सिविल लाइंस जनपद बदायूँ ।

2. मु0अ0सं0 327/19 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सिविल लाइंस जनपद बदायूँ ।

3. मु0अ0सं0 210/19 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना सिविल लाइंस जनपद बदायूँ

4. मु0अ0सं0 178/20 धारा 82 कारागार अधिनियम व 308/336 भादवि थाना सिविल लाइंस जनपद बदायूँ ।

5. मु0अ0स0 611/25 धारा 309(4)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना सिविल लाइंस जनपद बदायूँ

अभि0 जसविन्दर उर्फ काके उपरोक्त का पूर्व आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 902/15 धारा 406 भादवि थाना बिल्सी

2. मु0अ0सं0 674/16 धारा 3/2 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप थाना बिल्सी

3. मु0अ0स0 611/25 धारा 309(4)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना सिविल लाइंस जनपद बदायूँ

गिरफ्तारी व बरामदगी करने पुलिस वाली टीम –

थाना सिविल लाइंस

1. श्री हरेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइंस जनपद बदायूँ मय पुलिस टीम